(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) Governemnt are aware of the news-item in question. As per information made available by the State Government, on 27-1-94, during the night, some rockets were fired by Pak troops in the Dogwar sector of Poonch. Some live rockets were recovered in the area by the Army. An employee of the Irrigation Department spotted one rocket and took it to the nearby Middle School, Dogwar. The Headmaster of the school asked him to hand it over to Army, but, he left it in the premises of the school. One Sohan Singh (ex-serviceman) who was a teacher in the school tried to demonstrate and explain the device to the other staff. In the process, the wires of the battery got connected and the device exploded, resulting in serious injuries to 12 persons. 6 of them including the teacher, Mohindcr Singh were airlifted to Jammu. While 5 of them were discharged, Mohinder Sharma was referred to AIIMS, Delhi, for specialised treatment. The State Government have not provided any compensation/financial assistance as in the case of victims of terrorist violence, because this was a case of an accident resulting from the careless behaviour of all concerned.

साम्प्रदायिक सौहार्द निधि में से धनराशि का संवितरण

2945. श्री ईश दत्त यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पूजा स्थलों की मरम्मत हेतु राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को साम्प्रदायिक सौहार्द निधि में से 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) जिले-वार कितने पूजा स्थलों को यह धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) 31 जुलाई, 1994 तक इस आवंटित धनराशि से जिला-वार कितने पूजा स्थलों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) से (ग) साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पूजा स्थलों की मरम्मत के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान, तथा 31.7.1994 तक, साम्प्रदायिक सौहार्द निधि से कोई आवंटन नहीं किया गया है।

प्रापर्टी डीलरों द्वारा की गई धोखाधड़ी और जालसाजी

2946. श्री ईश दत्त यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गत छह महीनों के दौरान प्रापर्टी डीलरों द्वारा की गई धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि 1.2.1994 से 31.7.1994 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार के सात मामले (विवरण संलग्न) (नीचे देखिए) ध्यान में आए हैं और जिनमें 14 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इन मामलों में से दो मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं।

विवरण

सात मामलों के ब्यौरे

1. भा०द०स० की धारा 420/120-ख के अन्तर्गत 2.2.94 को थाना देशबन्धु गुप्ता रोड, दिल्ली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 25 ।

   सुरेन्द्र कोहली और अन्यों के विरुद्ध थाना देशबन्धु गुप्ता रोड में भा०द०स० की धारा 420/120-ख के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

2. थाना सब्जी मंडी, दिल्ली में भा०द०स० की धारा 420 के अन्तर्गत 8.2.94 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 35।